507

**16.** ग्राम परिषद की कार्यपालक शक्तियाँ, इस विनियम के तहत दिए गए कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन और ग्राम परिषद के संकल्पों को पूरा करने का दायित्व फर्स्ट कैप्टन में निहित होगी । कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए फर्स्ट कैप्टन

**17.** (1) ग्राम परिषद, तत्समय लागू किसी नियम के तहत जब तक तुरन्त विघटित नहीं हो जाती, इसकी बैठक की नियत तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं । ग्राम परिषद की अवधि

(2) उप धारा (1) में शामिल इन सब के बावजूद, इस विनियम के लागू होने से पूर्व ग्राम जनजातीय परम्परा के तहत कार्यरत किसी परिषद अथवा निकाय के सदस्य का अस्तित्व धारा 11 के अंतर्गत ग्राम परिषद के चुनाव की तारीख से समाप्त हो जाएगी ।

(3) ग्राम परिषद के गठन के लिए चुनाव इस प्रकार पूरे किए जाएँगे:–

(क) उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व; अथवा

(ख) इसके विघटन की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व ।

बशर्ते कि विघटित ग्राम पंचायत की पदावधि का शेष भाग जिसे जारी रखा जाना है, की अवधि छह माह से कम है, ऐसी पदावधि के शेष भाग के लिए ग्राम परिषद को जारी रखे जाने के लिए इस उप धारा के तहत चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(4) किसी ग्राम परिषद की अवधि समाप्त होने से पूर्व विघटित होने पर गठित ग्राम परिषद केवल पदावधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिस अवधि के लिए उप धारा (1) के तहत विघटित ग्राम परिषद, यदि विघटित नहीं होती और बनी रहती ।

**18.** (1) ग्राम परिषद की पहली बैठक समाप्त होने के तुरन्त बाद, उसका प्रत्येक सदस्य, जिसमें फर्स्ट कैप्टन और सैकेंड कैप्टन भी शामिल है, प्रथम अनुसूची में दिए गए फार्म में सहायक आयुक्त के समक्ष पद की शपथ लेंगे । पद शपथ

(2) जो व्यक्ति ऐसे शपथ ग्रहण नहीं करता है वह मत नहीं दे सकेगा या बैठक के किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगा और न ही वह ग्राम परिषद द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में शामिल हो सकेगा ।

**19.** (1) ग्राम परिषद का कोई सदस्य उस प्रभाव का लिखित नोटिस फर्स्ट कैप्टन को देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसे इस्तीफा को फर्स्ट कैप्टन द्वारा इसके प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा । पद से इस्तीफा

(2) सेकेंड कैप्टन लिखित में फर्स्ट कैप्टन को नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन ग्राम परिषद जब तक इसे स्वीकृत नहीं कर देती इसे प्रभावी नहीं माना जाएगा ।

(3) फर्स्ट कैप्टन सहायक आयुक्त को लिखित सूचना देकर अपना इस्तीफा दे सकता है लेकिन इसे तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक वह इसे स्वीकार नहीं कर लेता ।

**20.** (1) ग्राम परिषद का कोई सदस्य निर्धारित तरीके से लिखित सूचना देकर फर्स्ट कैप्टन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है । फर्स्ट कैप्टन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव

(2) जिस तारीख में प्रस्ताव पारित किया गया हो उससे पन्द्रह दिनों के भीतर विचार–विमर्श हेतु और अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु ग्राम परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी ।

(3) यदि 'अविश्वास प्रस्ताव' में ग्राम परिषद के कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त है, ग्राम परिषद, ग्राम साधारण निकाय से फर्स्ट कैप्टन को पद से हटाने की सिफारिश करेगी ।